

लाइन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु की सीधी भर्ती हेतु सामान्य सेवा शर्तें

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता:

1.1 दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ संस्था से आई. टी. आई (विद्युतकार/ लाइनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) (आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एकसीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल रतलाम रामपुरा एवं नर्मदानगर आई. टी.आई.से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे)

ऐसे आवेदक जो आई. टी. आई (विद्युतकार/ लाइनमेन/वायरमेन) परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में हों, आवेदन कर सकते हैं किन्तु दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्हें आई. टी. आई (विद्युतकार/ लाइनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र ।

1.2 विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों के लिये - ऐसे लाइन परिचारक (संविदा) जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर, म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.क.लि., भोपाल, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.क.लि., इन्दौर, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. जबलपुर, एवं म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर में कार्यरत हो, न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव हो तथा बिंदु क्रमांक 1.1 के अनुसार शैक्षणिक अहर्ता रखते हो। कार्य अनुभव की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक की जावेगी।

2. पात्रता: केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ।

3. आयु सीमा:

3.1 आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी से की जावेगी ।

3.2 म.प्र. शासन (सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र क्र. 3-8/2016/3-1 दिनांक 12-05-2017 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी:

स.क्र.	आवेदक श्रेणी	म.प्र. के मूल निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरुष (अनारक्षित वर्ग)	40
2	महिला (अनारक्षित वर्ग)	45
3	पुरुष/महिला (शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45
4	पुरुष/महिला (आरक्षित वर्ग-अ.जा/ अ.ज.जा/अ.पि.व.)	45
5	पुरुष/महिला (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45
6	निःशक्तजन	45

- 3.3 म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के वही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के वही. उपकेन्द्र पर आपरेटर या लाइन परिचारक (नियमित) के रूप में 5 वर्ष से कम कार्य किया है अथवा कर रहे हैं, उन्हें कुल कार्यअनुभव (पूर्ण माह) की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। 5 वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी।

आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त/सेवा समाप्त की गयी हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।

- 3.4 म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 के बिंदु क्रमांक 9.1 के अनुसार ऐसे संविदा कार्मिक जिन्हें म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर, म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.क.लि., भोपाल, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.क.लि., इन्दौर, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. जबलपुर, एवं म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर, में कार्य अनुभव हो, को बिंदु क्रमांक 3.2 में वर्णित अधिकतम आयु सीमा में 7 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी।

4. विज्ञापन प्रकाशन:

विज्ञापन का प्रकाशन 02 राज्य स्तरीय एवं "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्रों के साथ कंपनी की वेबसाइट पर, आन लाईन आवेदन की प्रक्रिया के प्रारम्भ से 01 दिवस पूर्व, किया जावेगा।

5. आवेदन करने की विधि:

- 5.1 आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाइन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से प्राप्त होंगे। एम.पी. ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक कंपनी की वेबसाइट (www.mpez.co.in) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 5.2 आवेदक द्वारा निम्नांकित दस्तवेजों की स्कैन्ड प्रति अपलोड की जावेगी :
- (i) हाई स्कूल की अंकसूची।

- (ii) केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई (विद्युतकार/लाइनमैन/ वायरमैन) की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र या म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र (जैसा भी लागू हो)।
- (iii) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जोकि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. F 7-2/92/आ.प्र/एक दि.01-08-96 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
- (iv) म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- (v) भूतपूर्व सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सेवा संबंधी प्रमाणपत्र।
- (vi) निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए (40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता)- जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- (vii) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (केवल विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में मान्य) -विभागीय लाइन परिचारक (संविदा) तथा म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी में अनुबंध के आधार पर मीटरवाचक, 33/11 के.वी. उपकेन्द्र पर ऑपरेटर, लाइन परिचारक (नियमित) का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए पृथक- पृथक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

6. आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क:

- 6.1 म.प्र. के मूल निवासी अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क रु.1000/- रहेगा। म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्तजन आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रु.800/- रहेगा।
- 6.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से नगद भुगतान करके भी किया जा सकता है।
- 6.3 आवेदकों को आवेदन में सुधार हेतु, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले पोर्टल शुल्क रु.60/- का भुगतान करने पर एक अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 6.4 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका एम.पी. आनलाईन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अंदर चुनौती दी जा सकती है। उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यदि चुनौती दी जाती है तो उम्मीदवारों को रुपये 50/- राशि जमा करनी होगी।
- टीप: उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रावधिक है जिन्हें आवश्यकतानुरूप परिवर्तित किया जा सकेगा।

7. चयन प्रक्रिया:

- 7.1 ऑनलाइन आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। विज्ञापन के अनुसार आवेदन फॉर्म प्रारंभ दिनांक से एक महीने की अवधि के लिए लाइव होगा।

- 7.2 ऑनलाइन परीक्षा हिंदी भाषा में दो घंटे की अवधि की होगी | परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे (प्रति प्रश्न 1 अंक), जिसमें से 75 प्रश्न 10 वीं कक्षा एवं आई.टी.आई. (विद्युतकार/ लाईनमेन/वायरमेन) तथा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे | गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग नहीं की जावेगी| ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंको व बोनस अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा |
- 7.3 ऑनलाइन परीक्षा में दो या दो से अधिक आवेदकों के प्राप्तांको के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:
- (अ) जन्मतिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |
- (ब) समान जन्मतिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा (आई.टी.आई) में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |
- (स) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |
- 7.4 अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु कटऑफ 40% रहेगा एवं अ.जा/ अ.ज.जा/ अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्तजन के आवेदकों हेतु कटऑफ 30% रहेगा |
- 7.5 ऐसे आवेदक जिन्होंने म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी में टेके पर मीटर शैडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर, लाईन परिचारक (नियमित) के रूप में कम से कम 3 वर्ष कार्य किया है, को आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों पर कार्यानुभव के सापेक्ष 10 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जावेंगे, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को पात्रता नहीं होगी। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। कार्यानुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पृथक-पृथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर आनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक (पूर्ण माह) में की जावेगी।
- 7.6 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही कार्यानुभव के सापेक्ष पात्रतानुसार अर्जित बोनस अंक जोड़कर संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रक्रिया की जावेगी।
- 7.7 तार मिस्त्री प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव के सापेक्ष अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं है।
- 7.8 ऐसे लाइन परिचारक (संविदा) जिन्हें म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर, म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.क.लि., भोपाल, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.क.लि., इन्दौर, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि. जबलपुर, एवं म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर में न्यूनतम 4 वर्ष का कार्य अनुभव हो, को बोनस अंकों की पात्रता नहीं होगी क्योंकि उनके लिए म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियत 2018 के अनुसार विज्ञापित पदों में से 40 प्रतिशत तक आरक्षित रखे जाने हैं।



7.9 शारीरिक दक्षता हेतु चयन - शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

7.10 शारीरिक दक्षता परीक्षा - ऑनलाईन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:

(अ) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो ग्राम वजन लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना।

(ब) टूल-किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना।

(स) उपरोक्त दोनों उपखण्ड (अ) एवं (ब) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

(द) एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं ली जावेगी।

7.11 निःशक्तजन उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी।

7.12 विभागीय लाइन परिचारक (संविदा) उम्मीदवारों तथा नवीन उम्मीदवारों के लिए उनके लिए निर्धारित पदों के अनुसार पृथक-पृथक वरीयता सूची तैयार की जायेगी।

8. यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति:

अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दि.13-09-13 अनुसार एवं निःशक्त जन आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र दि.22-11-05 अनुसार, एकल किराया राशि देय होगी।

9. चयन एवं नियुक्ति:

9.1 प्रतियोगी परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी जिसमें समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक-पृथक प्रावीण्य (मैरिट) सूची तैयार की जावेगी। (बोनस अंकों की पात्रता केवल मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले ठेके पर अनुबंधित मीटर वाचक, 33/11 के.वी. उपकेन्द्र पर अनुबंधित ऑपरेटर एवं लाइन परिचारक (नियमित) को होगी)।

9.2 उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम 15 दिवस का समय दिया जायेगा। प्रावीण्य सूची में सम्मिलित होने के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9.3 संयुक्त प्रावीण्य सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जावेगी। इस हेतु अभ्यर्थी एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर अपना स्थान देख सकेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अभ्यर्थी को लाइन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के पद अनुबंधित किया जावेगा।

- 9.4 उम्मीदवारों द्वारा एम.पी.ऑनलाइन की वेब साइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है | स्कोर कार्ड ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाएगा।
- 9.5 प्रावीण्य सूची परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी। हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया को प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए बंद किया जा सकता है। प्रक्रिया को बंद करने के विशिष्ट आदेश जारी करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9.6 कार्य की प्रकृति: लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करने एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवंटित अन्य कार्य करना होगा।

10. आरक्षण:

- 10.1 म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे।
- 10.2 म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19.01.2015 के अनुसार 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्ततावाले नि:शक्तजन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण।
- 10.3 म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 से संशोधित नियम 4 (ख) सहपठित राजपत्र दिनांक 16 जनवरी 2018 से संशोधित नियम 4 (ख) के अनुसार श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखंड की भारिया आदिम जनजाति और जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति के अभ्यर्थियोंको न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर एवं निर्धारित आयु सीमा में होने पर, भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक नं. 7, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, जबलपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- 10.4 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्र.सी 3-8/2015/एक-3, भोपाल, दि.15 जून 2017 के माध्यम से म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. जबलपुर को लाइन परिचारक के पदों की सीधी भर्ती हेतु महिला आरक्षण से छूट प्रदान की गयी है।
- 10.5 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को म.प्र.शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत

आरक्षण हारिजान्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज है। इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद केरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयनसूची में पहलेसे ही 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरीट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

10.6 म.प्र.राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाइन परिचारक (संविदा) के पद पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

10.7 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 7-47 / 2016 / आ.प्र / एक दिनांक 01.01.2018 अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के उम्मीदवारों को प्रभावी दि.11.11.2005 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

10.8 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षण केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे।

10.9 म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 के बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार विज्ञापित पदों में से 40 प्रतिशत पद विभागीय लाइन परिचार संविदा के लिए आरक्षित रखे जायेगे। इस हेतु पात्र उम्मीदवारों को कार्यपालन अभियंता अथवा उच्च पद के अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि विभागीय संविदा कार्मिकों के लिए आरक्षित पद पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता न होने के कारण कित रह जाते हैं, तो इस हेतु आरक्षित पदों को उसी श्रेणी के नवीन उम्मीदवारों से भरा जा सकेगसा अतः ऐसे पदों को अग्रेषित नहीं किया जायेगा।

10.10 किसी भी स्थिति में आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा।

11. पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें:

11.1 उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

11.2 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/अर्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

11.3 ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि पहले बच्चे के बाद जुड़वा बच्चे पैदा हुए हों।

- 11.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये हैं अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
- 11.5 उम्मीदवार का चयन होने पर कार्यग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 11.6 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले शादी कर चुके हैं, म.प्र.शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दि.10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- 11.7 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के आदेश क्र.3-17-96-3-॥ भोपाल दिनांक 25.10.96 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे।

12. प्रशिक्षण:

- 12.1 प्रशिक्षण अवधि-06 माह (1 माह का संस्थागत प्रशिक्षण व 5 माह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण)|
- 12.2 अंकों का आवंटन : (06 माह की प्रशिक्षण अवधि में)
संस्थागत प्रशिक्षण- 40 अंक
ऑन द जॉब प्रशिक्षण- 100 अंक
अंतिम लिखित परीक्षा- 40 अंक
अंतिम साक्षात्कार- 20 अंक
- 12.3 सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु न्यूनतम अंक :
 - अनारक्षित हेतु 60% एवं अ.जा/अ.ज.जा//अ.पि.व निःशक्त जन (पीडब्ल्यूडी)हेतु 50%।
 - प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के प्रत्येक मॉड्यूल में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 12.4 प्रशिक्षण का विस्तार - यदि उम्मीदवार को न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसका प्रशिक्षण तीन महीने तक बढ़ाया जाएगा (अधिकतम दो बार केवल)। यदि विस्तार के बाद भी प्रशिक्षु सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहता है तो उसकी चयनित पद के लिए उसकी उम्मीदवारी को विशिष्ट तर्क-आदेश द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।
- 12.5 वरीयतासूची में वरिष्ठता - सफल उम्मीदवार को नियमितकरण उपरांत चयन प्रक्रिया (केवल ऑनलाइन परीक्षा) मापदंड (60% वेटेज) और प्रशिक्षण (40% वेटेज) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची में सापेक्ष स्थिति प्रदान की जाएगी।

- यदि प्रशिक्षण अवधि प्रशिक्षण में असफल रहने के कारणों से बढ़ाई गयी है और उसके बाद विस्तारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है तो उम्मीदवार को चयनित बैच में वरीयतासूची में नीचे रखा जाएगा ।
- यदि एक से अधिक प्रशिक्षुओं प्राप्तांक समान हैं तो वरीयतासूची में वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात् प्रशिक्षु जिसकी जन्म तिथि पहले से है वह वरिष्ठ होगा ।

12.6 अनुबंध सेवा (अनुबंध और सेवा की शर्तों) संशोधित नियम- 2018 की कंडिका 9.6 के अनुसार विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के तहत चयनित उम्मीदवारों के ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों में 1% प्रति वर्ष अनुभव वेटेज (अधिकतम 5%) जोड़कर वरीयतासूची को तैयार किया जाएगा ।

12.7 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुवृत्ति प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु को मप्र.शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 20.07.2017 के अनुसार वेतन मेट्रिक्स के लेवल 04 के प्रारंभिक वेतन के बराबर प्रशिक्षु भत्ता दिया जाएगा ।

पद नाम	वेतन मान	प्रशिक्षु वृत्ति
लाइन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु	19500-62000 (लेवल-4)	रु. 19500 प्रतिमाह

13. सेवा अनुबंध सह जमानत बांड:

13.1 बांड की वैधता - प्रशिक्षण अवधि (विस्तारित प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) सहित 3 साल की अवधि के लिए 500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बाँड ।

13.2 बाँड की वैधता अवधि के दौरान त्यागपत्र के मामले में उम्मीदवारों से बांड राशि की वसूली - सेवा अनुबंध सह जमानत बांड की राशि रु.1,00,000/- (अनारक्षित श्रेणी के लिए) और रु.50,000/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/ निःशक्तजन के लिए) उम्मीदवार द्वारा देय होगा। बाँड की वैधता अवधि के दौरान कंपनी को छोड़ने पर नोटिस की पूर्ण अवधि के लिए प्रशिक्षु वृत्ति / वेतन(जैसा भी लागू हो) अथवा नोटिस अवधि एक महीने से कम होने पर शेष अवधि के अनुपात में प्रशिक्षु वृत्ति/ वेतन भुगतान की राशि देय होगी ।

13.3 यदि अभ्यर्थी का चयन पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् मंडल की अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में समान या उच्च पद पर होता है, तो उसे बाँड की देनदारियों (नोटिस अवधि सहित) से छूट दी जाएगी। सेवा अनुबंध शेष अवधि के लिए संबंधित कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

14. प्रशिक्षण अवधि के दौरान अवकाश:

- 14.1 प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को 07 आकस्मिक, 01 ऐच्छिक एवं 07 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी यदि एक बार में चिकित्सा अवकाश की अवधि 3 दिन से अधिक है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। अत्यावश्यकता होने पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के अनुमोदन से अधिकतम 10 दिन के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। इसके उपरांत प्रशिक्षुवृत्ति से अवैतनिक अवकाश के रूप में कटौती की जावेगी तथा प्रशिक्षण अवधि में विस्तार किया जावेगा।
- 14.2 यदि प्रशिक्षु दस दिनों से अधिक के लिए प्रशिक्षण से बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसे सेवा समाप्ति की सूचना दी जाएगी। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु अंतिम नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारी को रद्द किया जावेगा।

15. परिवीक्षा काल:

प्रशिक्षण अवधि के सफल समापन के बाद उम्मीदवार को नियमित कैडर में नियुक्त किया जाएगा जो दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा, जिसके दौरान उसके प्रदर्शन पर निगरानी रखी जावेगी इस अवधि को कंपनी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है (एक वर्ष अधिक नहीं)। यदि अभ्यर्थी की कार्य दक्षता परिवीक्षा हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होती तो उसकी नियुक्ति को समाप्त किया जा सकेगा।

16. प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्तव्य एवं दायित्व :

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उम्मीदवार को नियमित रिक्त पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। पखवाड़े के पूरा होने पर प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त/अर्जित ज्ञान दर्शाते हुए एक पाक्षिक रिपोर्ट नियंत्रण कर्ता अधिकारी को जमा की जावेगी, जो इसे अंतिम मूल्यांकन हेतु उप महा प्रबंधक (प्रशिक्षण) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर को प्रेषित करेगा।

17. अनुशासन एवं नियंत्रण के संबंध में नियम एवं विनियम :

यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के दुराचरण, अवैधानिक एवं अवांछित गतिविधियों, धोखाधड़ी, अनुशासनहीनता आदि गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार दंडित किया जावेगा।

17.1 लघु दुराचरण शास्ति :

- (अ) 01 माह के प्रशिक्षु वृत्ति तक का दंड।
- (ब) प्रशिक्षु के कारण होने वाली हानियों और ऐसे हानियों की वसूली उपरोक्त "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा निर्धारित की जाएगी जो अंतिम और प्रशिक्षु पर बाध्यकारी होगी।

और/अथवा



- (अ) प्रशिक्षु को दी जाने वाली चेतावनी, प्रशिक्षण अवधि के विस्तार/समाप्ति हेतु प्रशिक्षु के रिकार्ड में अंकित की जावेगी।
- (ब) ये शास्तियां एक साथ या अलग अलग अधिरोपित की जा सकती हैं।

17.2 दीर्घ शास्ति: प्रशिक्षु के अनुबंध समाप्ति के अलावा बांड राशि जैसे दायित्वों की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही।

18. वेतन एवं भत्ते :

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के पश्चात कार्मिक को म.प्र.शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 20.07.2017 के अनुसार वेतन मेट्रिक्स के लेवल 04 पर निर्धारित किया जावेगा।

19. वेतन वृद्धि:

वेतन वृद्धि की पात्रता सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि के अनुसार म.प्र.शासन के आदेश क्र. F-8-1/2016/Rule/4 दिनांक 20.07.2017 के द्वारा 7वें वेतनमान हेतु जारी निर्देशों के अनुरूप होगी अर्थात् 1 जनवरी एवं 1 जुलाई।

20. सामूहिक बीमा :

लाईन् परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त कार्मिक को सामूहिक बीमा योजना के तहत बीमित किया जावेगा एवं प्रिमियम राशि कंपनी नियमों के अनुसार कार्मिक के स्टायपेंड/वेतन से काटी जावेगी (जैसा भी लागू हो)।

21. नवीन पेंशन योजना :

लाईन् परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त कार्मिक पर नवीन पेंशन योजना लागू होगी।

22. जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी का सत्यापन :

22.1 प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रवेश और प्रारंभिक नियुक्ति, कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार चरित्र और पूर्ववर्ती जानकारी के साथ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति संतोषजनक चरित्र सत्यापन के अधीन होगी और यदि कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है तो नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को रिपोर्ट करने के समय निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। संतोषजनक सत्यापन तक, नियुक्ति अस्थायी रहेगी। मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार चरित्र सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थी को रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है।

22.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (non creamy layer) श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी के सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति के सत्यापन के अधीन होगा। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार/प्रशिक्षु की जाति को मध्यप्रदेश की अनुसूची में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा प्रस्तुत किया गया जाती प्रमाण पत्र नकली/जाली पाया जाता है तो, उम्मीदवार की नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

22.3 निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए, नियुक्ति म.प्र.शासन, के गजट परिपत्र संख्या एफ 8-3/2013 /आ.प्र./एक/ दिनांक 17.07.2014 के अनुसार विकलांगता के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी।

23. नोटिस की अवधि :

प्रशिक्षण के दौरान और नियमित सेवा अवधि के दौरान, कंपनी अथवा कार्मिक एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का वेतनमान/वेतन (जो भी लागू हो) देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं। लाईन परिचारक (नियमित)-प्रशिक्षु यदि बांड अवधि के दौरान सेवाएं समाप्त करता है तो वह लागू बॉन्ड राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

24. यात्रा / दैनिक भत्ता :

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, कार्यालयीन कार्य हेतु की गयी यात्रा के लिये प्रशिक्षु अपने पद के अनुसार यात्रा/दैनिक भत्ता के लिए हकदार होगा।

25. नियोजन की विशिष्टता:

कंपनी के कार्यकाल के दौरान लाईन परिचारक (नियमित) को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार या वाणिज्यिक प्रकृति के किसी भी बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि लाईन परिचारक (नियमित) इस बिंदु के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति को बिना किसी कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा।

26. गोपनीय सूचना:

26.1 लाईन परिचारक (नियमित) सेवाओं के दौरान, उसके द्वारा प्राप्त की गई/उसे सौंपी गयी सभी जानकारी को अत्यंत गोपनीय रखेगा और गोपनीयता का पालन करेगा। वह सेवाओं के दौरान अथवा सेवा सम्मप्ति के पश्चात भी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगा एवं तदाशय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

26.2 लाईन परिचारक (नियमित) की कंपनी के प्रति यह वचनबद्धता होगी की :

- (अ) गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल कंपनी में सेवाएं करने के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।
- (ब) किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखेगा।
- (स) किसी भी उद्देश्य के पूरा होने पर या संस्था से विलग होने पर गोपनीय जानकारी (इसकी प्रतियों सहित) सभी दस्तावेजों या अन्य सामग्री कंपनी को वापस लौटायेगा।

26.3 इस बिंदु में उल्लेखित गोपनीय जानकारी का मतलब कंपनी के व्यापार, मामलों, संचालन, संपत्ति, संगठन, लेनदेन एवं उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और कंपनी के वित्तीय मामलों से संबंधित कोई भी जानकारी (चाहे मौखिक, लिखित, विजुअल आदि, हार्ड या सॉफ्ट कॉपी) और इसमें रिपोर्ट, सूचना, सलाह और सिफारिश (किसी भी रूप में) किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन, मूल्यांकन, रिपोर्ट आदि बिना किसी सीमा के शामिल होगा।

27. दस्तावेज:

चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल एवं एक सत्यापित छायाप्रति लाना अनिवार्य है :

निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट सत्यापित छायाप्रति :

- (क) जन्मतिथि के प्रमाण एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु 10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई (विद्युतकार/लाइनमैन/वायरमैन) की अंकसूची अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र।
- (ग) वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
- (घ) मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- (ङ) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जो कि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. F 7-2/92/आ.प्र/एक दि.01-08-96 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो। अ.पि.व (नॉन क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को तहसीलदार द्वारा जारी पिछले 03 वर्ष का नवीनतम आय प्रमाण पत्र/ नान क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (च) म.प्र.राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र।
- (छ) निर्धारित प्रारूप में सेवा अनुबंध पत्र। (मूल प्रति)
- (ज) 05 पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो।
- (झ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा निर्धारित प्रारूप में (मूल प्रति)


- (ज) अभ्यर्थी के स्थाई निवास के पते के प्रमाण ।
(ट) अभ्यर्थी का फोटो आईडी प्रमाण (आधार/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/बैंक पास बुक)
(ठ) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (केवल विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में मान्य)।

टीप: उपरोक्त दस्तावेजों की सूची में कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

28. सेवानिवृत्ति आयु— लाइन परिचारक (नियमित) की सेवानिवृत्ति की आयु कंपनी के आदेश क्र.अ.स./पूर्व क्षेत्र/स्थापना-दो/7652, दिनांक 23.11.2012 के अनुसार होगी।
29. उच्च योग्यता/अनुभव के आधार पर उच्च पद में नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा ।
30. **क्षेत्राधिकार:**
चयन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में ही मान्य होंगे । कंपनी की सेवा म.प्र.औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है।

टीप— 1.कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर संशोधित की जा सकेंगी तथा नवीन नियम एवं प्रावधान ग्राह्य किये जा सकेंगे। इस संबंध में लाइन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के पद पर चयनित अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2. [लाइन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु बैच 2018 का चयन संचालक मंडल की 79 वी बैठक दिनांक 28.06.2017 में अनुमोदित सेवाशर्तों के अनुसार किया जा चुका है]। अतः उपरोक्त सेवाशर्तों में से लाइन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु बैच 2018 के लिए केवल चयन प्रक्रिया के उपरांत की सेवाशर्तें मान्य होंगी।


मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)

लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु बैच-2018 के लिए सेवा सह जमानत अनुबंध तैयार करने हेतु दिशानिर्देश

कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें-

1. लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के पद पर उपस्थिति के समय चयनित उम्मीदवार को सेवा सह जमानत अनुबंध (संलग्न प्रपत्र-3 में), म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के समक्ष निष्पादित किया जाना आवश्यक है। सेवा सह जमानत अनुबंध रू. 500/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम पृष्ठ से टाईप कराना एवं नोटराईज्ड किया जाना आवश्यक है।
2. सेवा सह जमानत अनुबंध के सभी पृष्ठों पर लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु एवं जमानतदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। सेवा सह जमानत अनुबंध के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठों पर कहीं कटिंग नहीं हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाये, कटिंग/सुधार किए जाने/रिक्त स्थान भरने/ओवर राईटिंग किए जाने की स्थिति में निष्पादनकर्ताओं के हस्ताक्षर अवश्य किये जावें।
3. जमानतदार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि सेवा सह जमानत अनुबंध की राशि के भुगतान हेतु सक्षम हो तथा उक्त राशि के भुगतान हेतु सहमत हो। जमानतदार का पेन नं. उसके हस्ताक्षर के नीचे अंकित किया जाना आवश्यक है। साथ ही जमानतदार के पेन कार्ड की छायाप्रति (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक है।
4. दोनो गवाह लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु एवं जमानतदार को अच्छी तरह से पहचानते हों।
5. लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु उम्मीदवार को सेवा सह जमानत अनुबंध में अंकित स्थायी पते की पुष्टि में पहचान पत्र एवं स्थायी पता के संबंध में प्रमाण/अभिलेख की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. सेवा सह जमानत अनुबंध के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर दिनांक हेतु खाली स्थान छोड़ा जावे।
7. सेवा सह जमानत अनुबंध के आखिरी पृष्ठ पर इस प्रकार टंकित किया जाना चाहिए कि लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु, उसके गवाहों, जमानतदारों के हस्ताक्षर, नोटरी की सील व हस्ताक्षर, नोटरी द्वारा लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के प्रमाणित हस्ताक्षर एवं नियोक्ता तथा नियोक्ता के गवाहों के हस्ताक्षर एक ही पृष्ठ पर दिखाई दें। साथ ही सेवा सह जमानत अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील (मोहर) अंकित होना आवश्यक है।

**SERVICE AGREEMENT-CUM-SURETY BOND FOR
LINE ATTENDANT (REGULAR) TRAINEE BATCH 2018**

THIS AGREEMENT is made on this day of month of Two Thousand and Eighteen, BETWEEN : the Chief Engineer (.....Region), M.P.Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd., a Company incorporated under the Companies Act, 1956. having its registered office at Block No. 7, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur, hereinafter called the “Employer” (which term shall unless repugnant to the context mean and include its successors-in-interest and permitted assignees) of the ONE PART:

AND:

Shri/Smt./Ms.
Son/Daughter/Wife of Shri.....
resident of in the tehsil of the District
....., hereinafter called the “Trainee”, (which term shall unless
repugnant to the context mean and include its successors-in-interest and permitted
assignees) of the SECOND PART:

AND:

Shri/Smt./Ms.....Son/Daughter/
Wife of Shri..... resident of
.....in the tehsil
of the District, hereinafter called the
“Surety”, (which term shall unless repugnant to the context mean and include its
successors-in-interest and permitted assignees) of the THIRD PART:

WHEREAS the Trainee has been selected by the Employer as an Line Attendant (Regular) Trainee Batch 2018, vide its provisional offer of appointment No. dated for imparting training to him/her with a view to utilize his/her service with the Employer, which offer has been unequivocally accepted by the Trainee;

AND WHEREAS as per the Main Terms and Conditions of the said offer of appointment, the Trainee is required to undergo training as determined by the Employer and on successful completion of the training, the newly recruited incumbent has to serve the Employer for a period of at least 3 years; thereafter;

AND WHEREAS as per the main Terms and Conditions of the said offer of the appointment, the appointment shall be cancelled if the training is not completed successfully.

AND WHEREAS as per the Main Terms and Conditions of the said offer of appointment, the Trainee and his/her Surety are required to execute a Service Agreement-cum-Surety Bond on non-judicial stamp paper in favour of the Employer, undertaking to complete the training and to serve the Employer for a period of at least 3 years, including the successful training period (but excluding extended training period), failing which the Trainee and the Surety shall be jointly and severally bound to pay the Employer the sum of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) for Unreserved category candidates and Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) for SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD category candidates and stipend/salary (as the case may be) for the number of days notice period of one month falls short in lieu of notice period and other expenses incurred on him/her by the Employer during the training period.

AND WHEREAS the Trainee recognizes and accepts that at the time of appointment as Trainee, except exposure to academic knowledge, he/she has received no formal, effective, technical or practical training enabling him/her to become commercially viable to the Employer;

AND WHEREAS the Trainee further recognizes and accepts that prior to and at the time of joining the Employer, he/she has not been exposed to and, therefore, has not acquired any skills, which are essential to ensure that the performance of duties by the Trainee meets the current business needs, parameters, standards and efficiency levels required by the Employer;

AND WHEREAS consequently in order to render the Trainee of value to the Employer, the Trainee would need to undergo formal and extensive training in accordance with courses, modules, programs prescribed or conducted by the Employer;

AND WHEREAS the Trainee is aware that the Employer would be expending substantial sums of money and incurring substantial costs, expenses man hours in the process of selecting and appointing him/her as Trainee and thereafter for imparting training;

AND WHEREAS it is understood by the parties that if the Trainee leaves the services of the Employer before expiry of the bond period, he/she will not only impart and cause heavy financial losses to the Employer, but also inconvenience, loss of resources, man hours, computer time etc. The Trainee and the Surety undertake that they shall jointly and /or severally compensate the Employer for all the expenses incurred by the Company on account of and in connection with his/her training. The expenditure shall include overhead and other direct and indirect expenses incurred by the Employer on the training including the legal expenses incurred for recovering the said amount from the Trainee.

AND WHEREAS this Service Agreement-cum-Surety Bond executed with the Employer by the Trainee along with a Surety to the extent of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) for Unreserved category candidates and Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) for SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD category candidates is quantified damages based on the pre-estimate of the expenses/cost incurred upon the Trainee on this training, for indemnifying the Employer against all losses or damages which the Employer may suffer by reason of breach and/or non-compliance of any of the terms of this agreement by the Trainee;

AND WHEREAS the Trainee also agrees that if he/she commits any breach of any of the conditions of this agreement, the Trainee and the Surety shall be jointly and severally liable to pay to the Employer on demand the above said sum of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) for Unreserved category candidates and Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) for SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD category candidates and other expenses incurred on him/her by the Employer during the training period.

AND WHEREAS in order to secure the Employer against the expenses incurred by it on the training of the Trainee and to ensure due compliance of all terms and conditions stipulated by the Employer and accepted by the Trainee, it is agreed that the Trainee shall be liable to compensate the Employer in the manner and under the circumstances enumerated in this agreement;

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS:

1. The Employer shall appoint the candidate as a Line Attendant (Regular) Trainee Batch 2018 for giving him/ her training for a period of six months commencing from _____.
2. The Employer can terminate this agreement at any time without notice and without assigning any reason.
3. The Trainee shall not leave the Employer during the prescribed training period or during the period of service with the Employer for the stipulated period of 3 years including the successful completion of the training, except for reasons of continued serious ill-health, incapacitating him/her to work provided that such ill-health has not been brought about by his/her neglect, carelessness, design or misconduct about which the decision of the Employer shall be conclusive and binding.
4. The Trainee shall be paid a fixed stipend of Rs.19500/- per month during the training period.
5. The Chief General Manager (HR&A) or the Officer nominated by him shall be the competent authority to decide training itinerary and shall conduct the same as per rules.

6. The Trainee admits and recognizes that the Technical and theoretical training imparted by the Employer as part of the training period, involves substantial training costs, man hours and resource utilization.

If the Trainee fails to complete his/her training successfully and/or fails to serve the Employer for the stipulated period of 3 years including the successful completion of the training, the Trainee and the Surety undertake that they shall jointly and / or severally be liable to compensate the Employer for all the expenses incurred by it on account of and in connection with his/her training.

The Trainee/Employee as well as the Surety shall keep the Company indemnified, against each and every loss, damage, injury, liability etc. caused to or against the Employer due to any breach, act, omission, negligence, default, failure of resumption of duties/of the terms of his/her employment or he/she fails to complete the training and/or fails to serve the employer for the stipulated period of 3 years including the successful completion of the training or breach/non compliance of any of the terms of this agreement in any manner whatsoever and he/she shall be liable to pay on demand an amount of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) for Unreserved category candidates and Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) for SC/ST/OBC (Non Creamy Layer)/PWD category candidates as quantified damages and other expenses paid to him/her or incurred on him/her by the Employer during the training period.

Provided always and it is hereby declared that the decision of the Employer as to whether the Trainee/Employee has or has not performed and observed any of the obligations, terms and conditions herein before indicated shall be final and binding on the parties hereto.

Provided further that any forgiveness or forbearance on the part of the Employer or its successors, administrators and/or executors or any of them towards the Employee in respect of his/her failure, neglect, default, etc to perform training duties, responsibilities or his/her quitting service or breach of any of the terms of employment or those of this agreement shall not in anyway release or exonerate the Trainee or Employee or his/her heirs, executors, or administrators in respect of his/her liabilities in terms of this bond/ agreement.

7. The Employer can transfer/assign to the Trainee/Employee any work in his/her subject or associated fields either in any of its own establishment or in an establishment of any group Company/ sister concerns/ subsidiaries whether existing or that may be set up in future.
8. At the end of the stipulated period of training, the suitability of the Trainee for employment in the service of the Employer will be evaluated by the competent authority of the Employer on the basis of his/her performance during the period of training and the decision of the competent authority of the Employer in this regard shall be final and binding on the Trainee and the Surety. In case the Trainee fails to complete the training successfully, he would be liable to reimburse to the Employer the expenses incurred by it.

9. The Trainee shall be appointed as Line Attendant (Regular) after the successful completion of the training, and will be on probation for a period of 2 years, which period may be extended further at the sole discretion of the Employer. The services and remuneration of newly recruited incumbent shall be governed as per provisions contained in the service conditions and other rules and regulations framed by the Company from time to time.
10. The Surety hereby undertakes and accepts that his/her liability is co-extensive with that of Trainee, that he / she shall be jointly and severally liable with the Trainee for payment of all amounts that may become due and payable under this agreement, that he/she is aware and accepts the special nature and character of the deputation of the Trainee as well as the manner of computation of damages; compensation; that the Employer shall be at liberty to enforce this guarantee / Surety furnished by him/her without necessarily seeking to enforce the same against the Trainee in the first instance; that the Employer shall be entitled to proceed either against the Trainee or Surety or both for recovery of any amounts due under this agreement. Any demand made on the Trainee under this agreement shall be deemed to be sufficient notice of such demand to the Surety also; and that the Surety guarantees the satisfactory performance of each of the clauses, terms, obligations and conditions of this agreement.
11. The Trainee agrees to diligently, faithfully and to the best of his/her ability undergo the training and conduct and behave himself/herself honestly and obediently towards his/her superiors and management of the Employer and will devote his/her whole time to the duties assigned to him/her by the Employer and will not engage directly or indirectly in any trade, business or occupation till the end of the period for which he/she is bound to serve the Employer.
12. The Trainee shall observe secrecy and/in no way divulge or disclose to any person or persons what-so-ever, the secrets entrusted to him/her or coming to his/her knowledge in the course of his/her training and service with the Employer either in relation to its work, business or its customers.
13. The Trainee shall not commit or cause to be committed any waste, damage or other injury to the property and/or goods of the Employer nor shall he/she lend any such property or goods to any persons without the permission of the management of the Employer.
14. The Trainee shall on the termination of his/her training/service by the Employer or on his/her leaving the said training/service, whenever it may happen, shall account for, pay and peacefully deliver to the Employer all the stocks in trade, books of accounts, documents, papers and effects that are in his/her possession and custody and belonging or relating to the Employer.
15. For matters not provided for in this Service Agreement-cum-Surety Bond, the Trainee shall be governed by the offer of appointment and Rules and Regulations of the Employer in force from time to time.
16. In case the Trainee does not comply with the terms and conditions contained in the offer of appointment or the Rules and Regulations of the Employer or the covenants contained in this bond, the Trainee and his/her Surety undertake that

they shall jointly and / or severally pay to the Employer on demand without any demur the amount demanded by the Employer towards the expenses incurred by it on account of and in connection with the training of the Trainee including cost of supervision, overhead charges, direct and indirect expenses incurred by the Employer, else the Employer will be at liberty to initiate appropriate legal action under the Code of Civil Procedure.

17. The jurisdiction for all the legal matters with regard to Service Agreement-cum-Surety Bond shall be the appropriate court at Jabalpur (M.P.).

18. In the instant of any ambiguity the interpretation of any or all the clauses of this agreement made by the Employer shall be final and binding on the Trainee.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed these presents on this _____ day of _____ month of _____ year in the presence of the following witnesses:

1. Witness

Signature _____

Name _____

(IN BLOCK LETTERS)

Occupation _____

Address _____

PAN No. _____

2. Witness

Signature _____

Surety _____

Name _____

(IN BLOCK LETTERS)

Occupation _____

Address _____

PAN No. _____

(Signature of Trainee)

Name

(IN BLOCK LETTERS)

Address _____

(Signature of

Name

(IN BLOCK LETTERS)

Occupation

Address

PAN No. _____

(Attestation of signatures of Trainee and Surety by a Notary OR Gazetted officer)

(Signature of Trainee)

(Signature of Surety)

Attested
Signature & Seal of
Notary Public

Attested
Signature & Seal of
Notary Public

(For office use only) (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

1. Witness (Employer's)

Accepted

Signature _____

Engineer.....Region

Name _____

Jabalpur)

(IN BLOCK LETTERS)

Designation _____

Address _____

2. Witness (Employer's)

Signature _____

Name _____

(IN BLOCK LETTERS)

Designation _____

Address _____

Signature of Chief

(for and on behalf of MPPKVCL,

Name _____

(IN BLOCK LETTERS)

Address _____

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.....
...पिता/पति श्री जो कि
..... के स्थायी निवासी हैं, इन्हें मैं विगतवर्षों से जानता हूँ।

मेरी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार श्री/श्रीमती/कु.....
.....का चरित्र अच्छा है, ये किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहे हैं
तथा इनके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत विधिक प्रकरण लंबित नहीं है ।

हस्ताक्षर सील सहित

नाम

(राजपत्रित अधिकारी का नाम)

दिनांक.....

बायोडाटा

लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु बैच-2018 के पद पर
प्रावधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जानकारी

नवीनतम पासपोर्ट
आकार की रंगीन
फोटो

पूरा नाम (श्री / श्रीमति / कुमारी)		
जन्मतिथि	(dd/mm/yyyy)	
	(शब्दों में)	
जाति एवं श्रेणी		
पिता /पति का नाम (श्री)		
वर्तमान पता		
स्थायी पता		
ई-मेल पता		
मोबाइल नं.		
शैक्षणिक अर्हता (जो भी लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाए)	10वीं आई. टी. आई. (लाईनमेन / वायरमेन / इलेक्ट्रीशियन) अथवा तारमिस्त्री (Overhead) प्रमाण पत्र	
अन्य शैक्षणिक अर्हता		
कार्यानुभव		

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

परिचय पत्र हेतु जानकारी

पूरा नाम (हिन्दी में) (श्री/श्रीमति/कु.)	
पूरा नाम (अंग्रेजी में) (Shri/Smt./Ku.)	
पिता/पति का नाम (श्री)(हिन्दी में)	
पदनाम	लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु बैच-2018
वर्तमान पता	
स्थायी पता	
मोबाइल नं.	
पहचान चिन्ह	
जन्मतिथि	
रक्त समूह (Blood Group)	

नवीनतम
पासपोर्ट आकार
की रंगीन फोटो

लाईन परिचारक (नियमित) प्रशिक्षु के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 7

1. मेरे विरुद्ध किसी माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चल रहा है एवं न ही किसी पुलिस थाने में कोई दांडिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
2. प्रस्तुत दस्तावेजों/चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल निश्कर्ष/वांछित अर्हता न पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर

परिशिष्ट-एक
(देखिए पैरा 3-क)
अनुप्रमाणन फार्म
(POLICE VERIFICATION FORM)

आवेदक
नवीनतम रंगीन
पास पार
साईज का फोटो
चस्पा करें।

चेतावनी :-

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा।
2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विगर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्यलोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामला अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिये गए हों (खात्मा), वापस ले लिए गए हो, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।
3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि, कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) उपनाम कुल नाम(सरनेम)

(यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए) पूरा नाम

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम,थाना
जिला या घर कं., गली (मार्ग)सड़क
तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

3. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम ,थाना
तथा जिला या घर कं. गली (मार्ग), सड़क
तथा नगर, जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हों)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों
तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय
संघ में प्रवास की तारीख,

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हों। यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हों) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद यदि एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों,

कब से	कब तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला अथवा घर कं., गली,मार्ग सड़क तथा नगर)	भूवर्ती खाने में उल्लिखित स्थान मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो।
01	02	03	04

5. पिता का—

- (क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो
- (ख) वर्तमान डाक पता
- (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो
- पिछला पता दीजिए)
- (ग) घर का स्थायी पता
- (घ) व्यवसाय
- (ङ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका
- पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए

6.(एक) नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता

- (क) पिता
- (ख) माता
- (ग) पति/पत्नि
- (घ) उम्मीदवार
- (दो) पति/पत्नि का जन्म स्थान

7.(क) आपकी जन्म तारीख

(ख) वर्तमान आयु

(ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु

8.(क) आपका जन्म स्थान, जिला तथा राज्य
जिसमें वह स्थित हो,
(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप
निवासी है।

9.(क) आपका धर्म
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित
आदिम जाति के सदस्य हैं। (उत्तर दीजिए) हों या नहीं
और यदि आपका उत्तर हों में हो तो
उस जाति विशेष का नाम लिखिए,

10. शैक्षणिक अर्हताएं:-

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो।

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा

11. कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए:-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि कब से कब तक	कार्यालय, फार्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण

12.(क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है? क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं। या आपसे मुचलका लिया गया है/ आप पर जुर्माना किया गया है। क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं। या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है?

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्व विद्यालय या किसी भी शैक्षणिक

प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है?

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तार, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए, इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे:-

(एक) अपराध/आरोप:-

(दो) पुलिस थाने में पंजीयन:-

(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम:-

(चार) मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया:-

(पांच) दिया गया दण्ड:-

(छ) क्या दोषमुक्त कर दिया गया :-

(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था:-

(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य हैं, या उससे सहयोजित रहे हैं, यदि ऐसा हो, तो पूर्ण विशिष्टियां दें, जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा सम्बद्धता की कालावधि/अवधि/इत्यादि।

टिप्पणी:- अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों (1)
या दो निवेशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको (2)
जानते हैं

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी परिस्थितियों से सहमत नहीं हूँ, जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए या बिना कारण बताये मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

पहचान प्रमाण –पत्र

प्रमाण— पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए—

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी—
- (दो) संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य —
- (तीन) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी—
- (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो—
- (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख—
- (छः) खण्ड विकास अधिकारी:—
- (सात) पोस्ट मास्टर—
- (आठ) पंचायत निरीक्षक—

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमति/ कुमारी.....

पिता/पति का नाम श्रीको पिछलेवर्षमाह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है।

स्थान.....

हस्ताक्षर (मोहर)

पदनाम या स्थिति.....

तारीख.....

तथा पता.....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता—

.....

.....

(ख) वह पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में

विचार किया जा रहा है।

(शपथ पत्र 10/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पृथकतः अंकित करायें)

शपथ – पत्र

मैं आयु करीब वर्ष , पिता श्री
 जाति निवासी
 का
 निम्नानुसार कथन शपथपूर्वक करता हूँ।

1. मैं का निवासी हूँ। यह है कि मेरे द्वारा अपराधिक प्रकरणों के संबंध में पूर्व में दिये गये विवरण में किसी तथ्य का जानबूझकर जानते हुए नहीं छुपाया गया है न ही कोई गलत जानकारी दी गई है। मेरे विरुद्ध किसी थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है एवं न्यायालय में भी लंबित नहीं है।
2. अनुप्रमाणन फार्म की सभी कंडिका क्रमांक एक (1) से तैरह (13) में वर्णित सभी कथन सत्य व सही है और जो जानकारी दी गई है वह पूर्णतः सही है।

अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म के संबंध में यह शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

मैं पिता श्री सत्यापन करता हूँ कि इस शपथ- पत्र की कंडिका क्रमांक 1 व 2 के कथन मेरे स्वयं के ज्ञान से सत्य व सही है। अतः आज दिनांक को में हस्ताक्षर कर सत्यापित किया ।

शपथकर्ता